



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-274230
CG-DL-E-07072026-274230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439]
No. 439]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1566) .— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 4246 : 2025 द्रवित पेट्रोलियम गैस के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हे और निर्मित हॉब्स — विशिष्टि (छठा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1 जून 2026	29 जून 2026	28 दिसम्बर 2026

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक एफ़ एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग)
[विज्ञापन-III/4/असा./208/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (1566) .— In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

SI No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 4246 : 2025 Domestic Gas Stove and Built in Hob for Use with LPG — Specification (Sixth Revision)	Amendment No. 1 June 2026	29 June 2026	28 December 2026

S. K. VERMA, Scientist F & DDG (Hallmarking)

[ADVT.-III/4/Exty./208/2026-27]